

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 1979/श्रावण 27, 1901
No. 170] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 1979/SRAVANA 27, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सांख्यिक सूचना सं० 37-ई०टी०सी०(पो०एम०)/79

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1979

विषय — 1979-80 के दौरान मोडियम क्लोराइड आई०पी०/वी०पी० का निर्यात ।

मिसिल सं० 23/10/79-ई०-1 से जारी — उपर्युक्त विषय पर भारत के असाधारण राजपत्र
में 18 अगस्त, 1979 को प्रकाशित निर्यात (नियंत्रण) मण्डल आदेश सं० ई०(सी०)ओ०
1977/एम०(132) की ओर ध्यान दिया जाता है ।

2. तदनुसार, निर्यात नीति, 1979-80 के पृष्ठ 26 के नीति विवरण में निम्नलिखित मद क्रम संख्या 97 के रूप में जोड़ी जायेगी —

भाग "ख" की अनुसूची-1 के मद का व्योरा लाइसेंस नीति
अनुसार क्रम सं०

97. ग्राइडियम क्लोराइड आई०पी०/बी०पी० निम्नलिखित शर्तों का पूरा करने पर केवल यास्मिन्विक विनिर्माताओं का उच्चतम निर्धारित सीमा के भीतर निर्यात की अनुमति दी जायेगी :—
1. सोडियम क्लोराइड आई०पी०/बी०पी० श्रेष्ठ का होना चाहिए अर्थात् भारतीय या ब्रिटिश फार्माकोपीया के अनुकूल होना चाहिए और उसे ओषधि लाइसेंस के अन्तर्गत विनिर्मित होना चाहिए ।
 2. निर्यात से न्यूनतम उगासी 4 रु० प्रति कि० ग्रा० अहात्र पर निःशुल्क मूल्य होनी चाहिये; और
 3. सोडियम क्लोराइड का निर्यात 50 कि०ग्रा० से बड़े पैकेटो में नहीं होनी चाहिये ।

सी० वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
द्विगुण, नियंत्रक, आयात-निर्यात
रूने मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 57-ETC/(PN)/79

New Delhi, the 18th August, 1979

Sub : Export of Sodium Chloride IP/BP during 1979-80.

F. No. 23/10/79-EL.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(132) dated the 18th August, 1979, published in the Gazette of India Extraordinary on the above subject.

2. Accordingly, the following item shall be added as S No. 97 in Policy Statement at page 26 of the Export Policy 1979-80 :—

S. No. as in Part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing Policy
97	Sodium Chloride, IP/BP	Export will be allowed within a limited ceiling by actual manufacturers only subject to fulfilment of the following conditions :— 1. Sodium chloride should be IP/BP grade i.e. conforming to the Indian or British Pharmacopocia and manufactured under a drug licence; 2. The minimum realisation from export should be Rs 4 per kg. f.o.b.; and 3. Sodium chloride should not be exported in packages bigger than 50 kg.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports

HARI RAM, Controller, Imports and Exports

